

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा , राजस्थान जयपुर
वित्त भवन ,ए-ब्लॉक , ज्योति नगर जनपथ , जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:-0141-2740837 , फ़ैक्स 0141-2742309 , ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-2023)/अलेसे-III/ 237

दिनांक:- 10-06-2025

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 240/2024-25 दिनांक 11.01.2025 के द्वारा श्री शंकर सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 744252 बैच-2023) को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति देते हुए कार्यालय कोषालय सीकर में पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में श्री शंकर सिंह द्वारा दिनांक 15.01.2025 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण किया गया। वर्तमान में विभागीय आदेश संख्या 300/2025-26 दिनांक 06.04.2025 के द्वारा श्री सिंह का पदस्थापन कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर में किया गया है।

श्री शंकर सिंह ने स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय-उदयपुर के पत्र क्रमांक 287 दिनांक 16.05.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र द्वारा व्यक्तिगत कारणों से पूर्व में धारित कनिष्ठ सहायक के पद पर, राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 15 के तहत पुनः कार्यग्रहण करने हेतु कनिष्ठ लेखाकार के वर्तमान धारित पद से त्यागपत्र स्वीकृत करने का निवेदन किया है। अतः श्री शंकर सिंह का इनके प्रार्थना पत्र के आधार पर वर्तमान धारित कनिष्ठ लेखाकार के पद से त्यागपत्र स्वीकृति किया जाता है। श्री शंकरसिंह अपने वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ही अपने पूर्व विभाग में कार्यग्रहण कर सकेंगे।

श्री शंकर सिंह का त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा, 2023 में कनिष्ठ लेखाकार पद पर चयनित होने से सम्बन्धित इनके सभी अधिकार समाप्त किये जाते हैं।



(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 10-06-2025

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-2023)/अलेसे-III/ 237

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय कोषालय, सीकर ।
2. कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय-उदयपुर को भेजकर लेख हैं कि श्री शंकर सिंह, कनिष्ठ लेखाकार को कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करने को श्रम करावें।
3. वरिष्ठ निजी सचिव निदेशक महोदय।
4. श्री शंकर सिंह, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय-उदयपुर।
5. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
6. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)